07/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। वकील विपक्षी ने प्रमाणित दस्तावेज की प्रतियाँ प्रस्तुत किए रेकार्ड पर लिए जाते हैं। पत्रावली अवलोकन हेतु नियत है। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का प्रा.पत्र बाबत 212 RTA मौजा सेमलपुरा के सम्बन्ध में खारीज किया जाता है। निर्णय पृथक से टाईप करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 12/2023 (2023/82)

अनवान

1. गौरी पत्नी देवीलाल धाकड नि.सेमलपुरा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. पुष्कर पिता स्व. देवीलाल धाकड नाबालिग जरिये सरंक्षक माता गौरी पत्नी स्व. देवीलाल नि.सेमलपुरा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. लोकेश पिता देवीलाल धाकड नि.सेमलपुरा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लेहरू पिता काना धाकड नि.सेमलपुरा तह.बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. तहसीलदार/उपपंजीयक महोदय ,बस्सी जिला चित्तौडगढ

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : बगदीराम धाकड अधिवक्ता प्रार्थीगण
संजय मौड अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय दिनांक 07.08.2025

प्रार्थना पत्र का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरूद्ध विपक्षीगण एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य एंव उपयोग उपभोग की की पुश्तैनी कृषि आराजीयात मौजा सेमलपुरा पटवार हल्का सेमलपुरा तहसील बस्सी मे स्थित है। जिसके वर्तमान खाता संख्या 619 मे वर्णित आराजी नं 138 रकबा 1.01 हे. तथा खाता संख्या 620 मे वर्णित आराजी नं 143, 144, 145, 146 कुल किता 04 कुल रकबा 0.92 हे. स्थित है। प्रार्थना पत्र मे पारिवारिक सजरा अंकित है । प्रार्थीगण अपने ससुर एंव दादा जी के जीवनकाल से ही पूर्व में किये गए आपसी पांति बंटवाडे के अनुसार वादपत्र मे वर्णित कुलिया आराजीयात पर 1/3– 1/3 हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है अर्थात कानाजी ने अपने जीवनकाल में ही तीनों पुत्रों के बराबर बराबर

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

ंटवाडा कर रखा था उसी अनुसार सभी पक्ष काबिज होकर राजी खुशी काश्त करते चले आ रहे है। उनकी पत्नी राधाबाई सामाजिक रिवाज अनुसार छोटे पुत्र विपक्षी संख्या 1 लेहरू के पास निवास करते तथा लेहरू के ही खेतीबाडी एवं मवेशियों आदि का काम करते थेए काना जी के मरणोपरांत सामाजिक रीति रिवाज अनुसार पिण्डदानए मौसर आदि सभी तीनों भाईयों ने मिलकर किया तथा सभी पक्षों ने मिलकर सेवा चाकरी देख रेख कपडा लत्ता भरण पोषण आदि सभी कार्य विधिवत सम्पन्न किया। राधाबाई की संपूर्ण सेवा चाकरी देख रेख आदि प्रार्थीया गौरी ने ही की तथा राधाबाई के मरणोपरांत उनका संपूर्ण सामाजिक कार्यकम आदि सभी पक्षों ने मिलकर पूर्वानुसार निष्पादित किया। आज से करीब 13–14 वर्ष पूर्व प्रार्थीया गौरी के पति एवं वादी पुष्कर लोकेश के पिता देवीलाल पिता काना जी की करण्ट लगने से दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी तत्पश्चात राधाबाई प्रार्थीया गौरी के पास ही निवास करती एवं राधाबाई की संपूर्ण सेवा सुश्रुषा कपडा लत्ता भरण पोषण आदि सभी केवल ओर केवल प्रार्थीया गौरी द्वारा ही निष्पादित किया गया। क्योकि विपक्षी श्रीलाल व लेहरू दोनो कुंवारे होने के कारण घर में सेवा चाकरी एवं काम करने वाली एक मात्र प्रार्थीया ही थी। विपक्षी संख्या 2 श्रीलाल पिता काना जी भोला स्वभाव का होकर कुंवारा होने से वर्तमान में श्रीलाल की सेवा चाकरी देखरेख भरण पोषण आदि गौरी एवं उसके पुत्र ही करते चले आ रहे है तथा श्रीलाल के हक हिस्से की आराजीयात का भी प्रार्थीगण ही उपयोग उपभोग करके कमा खाते चले आ रहे है। आज से तीन वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज अनुसार श्रीलाल ने अपने भाई देवीलाल के पुत्र वादी पुष्कर को समाज के मौतबीर पंचों एवं रिश्तेदारों के समक्ष गोद रखा गया था। विपक्षी लेहरू ने अपने हक हिस्से की 1/3 यानि की 0.64 हेक्टेयर

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजीयात में से 0.38 हे. कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 3 से 6 के पिता को विक्रय कर दी गई थी शेष 0.27 हे. भूमि पर लेहरू काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा बकाया शेष भूमि (करीब 6 बीघा 1.28 हे.) पर प्रार्थीगण राजी खुशी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा पारिवारिक सजरे अनुसार एवं पारिवारिक सहमति तथा गोदनामा मुताबिक उक्त संपूर्ण आराजीयात के एक मात्र मालिक एवं स्वामी प्रार्थीगण ही है। विपक्षी लेहरू के मन में शुरू से ही लालच एवं बदनियति होने के कारण माता पिता के अपने पास निवास करने का नाजायज फायदा उठाकर काना जी की मृत्यु के बाद राधाबाई को बहलाफुसलाकर धोखे में रखकर राधाबाई के हक हिस्से की आराजीयात को जरिये दान पत्र दिनांक 07.01.2015 को अकेले अपने नाम करवा ली गई इसी प्रकार तथ्य छिपाकर परिवार में बिना किसी की जानकारी के छल कपट करके श्रीलाल के भोलेपन का फायदा उठाकर उपरोक्त आराजीयात में से श्रीलाल के हक हिस्से को भी दिनांक 01.07.2015 को लेहरू ने अवैधानिक तरीके से हक परित्याग करके अपने नाम करवा लिया गया जिसकी प्रार्थीया एवं अन्य किसी को भी जानकारी नही थी। खाता संख्या 620 आराजी नं. 143 से 146 वाले खाते की आराजी में भी राधाबाई की मृत्युपरांत विरासत से श्रीलाल के नाम जो आराजीयात आई उसका पुनः उपरोक्तानुसार ही दिनांक 15.06.2020 को लेहरू ने अकेले अपने पक्ष में हक परित्याग करवा लिया तथा आराजी नं. 138 वाले खाते में भी दिनांक 25.11.2021 को श्रीलाल के शेष हक हिस्से को जरिये रिलिज डीड लेहरू ने अकेले अपने नाम करवा लिया जिससें वर्तमान में खाता संख्या 620 में लेहरू का 3/4 हक हिस्सा तथा खाता संख्या 619 में लेहरू का 3/8वां हक हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जो कि पक्षकारान के हक हिस्से मुताबिक

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बिल्कुल गलत होकर अवैधानिक है चूंकि लेहरू ने अपने हक हिस्से की आराजी में से करीब 2 बीघा जमीन को पूर्व में हरिराम जी को विक्रय कर दी गई विपक्षी लेहरू द्वारा छल कपट एवं धोखाधडी पूर्वक केवल अपने स्वयं के नाम करवाये गये दान पत्र एवं हक परित्याग विलेख पहले से ही शून्य एवं अवैध है जिनकी प्रार्थीगण को पूर्व में किसी भी प्रकार से जानकारी नही थी। लेहरू द्वारा अवैधानिक तरीके से अपने हक हिस्से से ज्यादा जमीन अपने नाम करवा लेने से एवं वर्तमान में वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में लेहरू का ज्यादा हक हिस्सा दर्ज होने के कारण विपक्षी लेहरू विगत 10–15 दिन से कब्जे काश्त को लेकर विवाद करने लगा तथा जमीन अपने नाम दर्ज होने से दीगर तरीके से बेचने की धमकीयां देने लगा जिस पर प्रार्थीया गौरी द्वारा पटवारी साहब से मिलकर दिनांक 06.01.2023 को खाता नकल प्राप्त की गई एवं जानकारी की गई तो प्रार्थीगण अचंभित रह गये तथा विपक्षी लेहरू से उक्त त्रुटिपूर्ण कृत्य बाबत पूछा गया तो लेहरू द्वारा किसी प्रकार का संतुष्टिप्रद जवाब नही दिया गयाए वर्तमान में लेहरू केवल ओर केवल खाते में अपना नाम दर्ज होने के कारण उक्त वर्णित आराजीयात को दलालों एवं भू माफियाओं को विक्रय करने हेतु प्रचार प्रसार कर रहा है तथा खेतों की मेडों पर दीगर लोगों को लाकर मौल भाव कर रहा है तथा प्रार्थीगण के साथ अकारण झगडा करके शामलाती की पुश्तैनी आराजीयात को जबरन विक्रय करने पर आमादा है। पारिवारिक सजरे अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कुलिया आराजीयात में प्रार्थीगण के नाम 1/3 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा की डिकी पारित किया जाना एवं राजस्व रेकार्ड में इंद्राज दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से वादपत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी अन्य

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोगों एंव भूमाफियाओं के सिखावे में आकर प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात से बेदखल करने एवं आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीया गौरी ग्रामीण परिवेश की अनपढ सदभाविक गरीब महिला है विपक्षी लेहरू के मन में शुरू से ही बदयांति थी जिसकी प्रार्थीया गौरी को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। प्रार्थनापत्र के साथ पुरानी जमाबंदी एवं इन्तकाल की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वाद कारण विपक्षी लेहरू द्वारा प्रार्थीगण से अकारण लडाई झगडा करने एवं प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजीयात को दीगर व्यक्ति को विक्रय करने के लिए दलालों एवं भूमाफियाओं को बताकर मौलभाव करने से एंव दिनांक 04.01.2023 को प्रार्थीगण द्वारा पटवारी साहब से उक्त आराजीयात की नकल प्राप्त करने से उक्त छल कपट एवं धोखाधडी से कराये गए दान पत्र एवं हक परित्याग की जानकारी हुई जिससे विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय आप में पेश है। यह कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है क्योकि विपक्षी लेहरू के नाम पर केवल ओर केवल राजस्व रेकार्ड में धोखाधडी पूर्वक अधिक जमीन नाम करवा लेने के कारण विपक्षी लेहरू खुर्द बुर्द करना चाहता है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि लेहरू द्वारा उपरोक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को अवैधानिक तरीके से रहन, बह , बक्षीस एवं दीगर तरीके से मुन्तकील कर देगा तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किसी भी सूरत मे संभव नही है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग एंव

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(चीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कब्जे काश्त तथा हक हिस्से की आराजीयात मे विपक्षीगण या उनके एजेंट किसी प्रकार की दखलन्दाजी या बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिए सम्मन् विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता संजय मौड ने उपस्थिति देकर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादपत्र कमजोर व मनगढन्त तथ्यो व साक्ष्य के अभाव में अवश्य ही जल्दी खारीज होगा निर्णय में देरी की कोई सम्भावना नही है। विपक्षी संख्या 1 कि कृषिभूमि पटवार हल्का सेमलपुरा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 619ण आराजी नम्बर 138 रकबा 1ण्01 हेक्टर तथा खाता संख्या 620 नया में आराजी नम्बर 143ए 144ए 145ए 146 कुल किता-4 रकबा 0ण्92 हेक्टर पर विपक्षी संख्या 1 ही काबिज होकर काश्त कर रहा है बाकी तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। वादी व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा है जो स्वीकार है। यह कथन अस्वीकार है कि वादीगण अपने ससुर व दादाजी के जीवनकाल से ही पूर्व में किये गये आपसी बंटवाडे के अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कुलिया 1ध्3ए 1ध्3 हक हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 व वादीगण के ससुर व दादा ने कभी भी आपसी बंटवाडा नही किया था ना ही राजस्व रेकार्ड में कोई बंटवाडा दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 के पिता स्व काना जी के समय से ही उनके तीनो पुंत्र एक साथ ही निवास करते थे तथा सभी के घर का भोजन विपक्षी संख्या 1 की माता ही बनाती थी तथा सारा घर का कार्य करती थी जबकि वादी उस समय अपने पीहर में ही रह रही थी अपने ससुर यानि विपक्षी संख्या 1 के स्वर्गवास के समय भी वादी व उसके पुत्र उनके अंतिम संस्कार व सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नही हुए सारा सामाजिक कार्यक्रमए पिण्डदानए विपक्षी संख्या 1 लेहरू

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

द्वारा ही किया गया व अपनी माता की देखरेख व घर का सारा खर्च लेहरू द्वारा ही किया था विपक्षी संख्या 1 के बडे भाई की करन्ट से मृत्यु होना स्वीकार है परन्तु अपने भाई की मृत्यु के पश्चात भी समाज के सारे कार्यकम व पिण्डदान लेहरू द्वारा ही किया गया तथा विपक्षी संख्या 1 की माता की सम्पुर्ण सेवा चाकरी भी विपखी संख्या 1 लेहरू द्वारा ही की गयी तथा उसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी सभी कार्यक्रम भी लेहरू द्वारा ही पूरे किये गये। विपक्षी संख्या 2 की सेवा चाकरी व देखभाल विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही की जा रही है और यह तथ्य गलत होकर अस्वीकार है कि देवीलाल के पुत्र पुष्कर को विपक्षी संख्या 2 के गोद रखा हो ऐसे कोई भी दस्तावेज फोटो व पत्रिका न्यायालय में पेश नही किया है केवल मनगढन्त व झूठे तथ्य होने से अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 अपने जीवनकाल से ही अपने पिता की पैत्रिक कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने बडे भाई श्रीलाल व माता की देखभाल करता चला आ रहा था मातापिता के देहावसान के पश्चात उक्त सभी सामाजिक कार्यक्रम भी विपक्षी संख्या द्वारा ही किये गये है। वादीगण का उक्त आराजीयात पर इंच मात्र का कब्जा ना कभी रहा है ना वर्तमान में है। विपक्षी संख्या 1 के पिता के स्वर्गवास के पश्चात सारे रीतिरिवाज व सामाजिक कार्यक्रम विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही करने व वादीगण के रितिरिवाज व सामाजिक कार्यक्रम मे शामिल नही होने से विपक्षी संख्या 1 की माता विपक्षी संख्या 1 के पास ही निवास करती थी तथा उसकी देखभाल व विपक्षी संख्या 2 की देखभाल विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही की जाती रही है तथा माता के स्वर्गवास होने पर उसके भी सामाजिक कार्यक्रम व रितिरिवाज विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही किये गये इसलिए विपक्षी संख्या 1 के नाम पर अपनी माता

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

द्वारा अपने हक व हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र से अन्य साक्षियों की उपस्थिति में करवाया तथा विपक्षी संख्या 2 ने भी रजिस्टर्ड परित्याग से विपक्षी संख्या 1 के नाम पर करवाया जो वैद्यानिक होकर विधि अनुसार सही एवं सत्य है। वादी द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र वन रजिस्टर्ड परित्याग विलेख को खारीज करने की रिलिफ चाही है वह केवल सिविल न्यायाधीश महोदय ही देने के अधिकारी है। राजस्व न्यायालय को वह अधिकार प्राप्त नही है जो वादीगण ने इस मद में चाही है मद में वर्णित अन्य सभी तथ्य अस्वीकार है क्योकि सभी रजिस्टर्ड पत्र साक्षियो की मौजुदगी में पजीबद्ध करवाये गये है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि आराजियात पर शुरू से ही विपक्षीगण का ही कब्जा होकर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा विपक्षी संख्या 1 ही उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि में दर्ज रेकार्ड खातेदार है तथा एक खातेदार के सारे अधिकार विपक्षी संख्या 1 को प्राप्त है जिससे वह अपनी खातेदारी के अधिकार प्राप्त होते है। वादीगण कोई भी अनुतोष राजस्व न्यायालय से पाने के अधिकारी नही है क्योकि रजिस्टर्ड दानपत्र व परित्याग पत्र को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। उक्त भूमि पर कभी भी वादीगण का कब्जा ही नही रहा तो बेदखल करने के तथ्य झूठे अंकित किये है वादीया गौरी शादी के बाद से ही कुछ समय ससुराल रही तथा उसके पश्चात अपने पीहर निवास करने लग गयी जिससे सभी कार्य विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही किये गये तथा उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही किया जाता रहा है। विपक्षी रिकार्डेड खातेदार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः विपक्षी संख्या का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस प्रकरण सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का अनुरोध किया इसके विपरित अधिवक्ता विपक्षी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनो का खण्डन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार तीन बिन्दूओ पर पारित किया जाता है।

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला :–**

उक्त बिन्दू के विनिश्चय के लिए सर्वप्रथम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथन एंव सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र एंव दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर हुआ है कि प्रश्नगत आराजी ग्राम सेमलपुरा पटवार हल्का सेमलपुरा के खाता संख्या 620 मे वर्णित आराजी 143 , 144, 145, 146 कुल किता 04 कुल रकबा 0.92 हे. मे विपक्षी संख्या 01 लेहरू पुत्र काना 3/4 हक हिस्से का अभिलिखित खातेदार है एंव इसी तरह ग्राम सेमलपुरा की खाता संख्या 619 मे वर्णित आराजी संख्या 138 रकबा 1.0100 हे. मे विपक्षी संख्या 01 लेहरू पुत्र काना 3/8 हक हिस्से का अभिलिखित खातेदार है। अधिवक्ता विपक्षी ने अपने कथनो की ताईद मे पंजीकृत दस्तावेज परित्याग विलेख एंव बक्षीस नाम की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की है। गौरतलब है की विपक्षी संख्या 01 लेहरू पुत्र काना को खातेदारी अधिकार जरिए पंजीकृत दस्तावेज से प्राप्त हुए है। वर्तमान मे लेहरू पुत्र काना अभिलिखित खातेदार है। ऐसी सूरत मे prima facie कब्जा खातेदार का ही माना जाता है। इसके विपरित अधिवक्ता प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज अथवा आधार पेश नही किया जिससे प्रथम दृष्टया कब्जा प्रार्थीगण का प्रमाणित हो सके। अतः प्रथम दृष्टृया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होकर विपक्षी संख्या 01 लेहरू पुत्र काना के पक्ष मे होने से मेरे विनम्रमतानुसार अभिलिखित खातेदार एंव कब्जेदार के विरूद्व अस्थाई

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निषेधाज्ञा प्रचलित करना विधि विरूद्ध है। अतः prima facie प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होने से उक्त बिन्दू विरूद्व प्रार्थीगण निर्णित किया जाता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन :–</u>

3. <u>अपूरणिय क्षति :–</u>

उक्त दोनो बिन्दूओ का विनिश्चय करने से पूर्व प्रथम बिन्दू के विस्तृत निर्णय से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे न होकर विपक्षी खातेदार होने से सुविधा का सन्तुलन विपक्षी के पक्ष मे है ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण को अपूरणिय क्षति होने का सवाल ही नही उठता है। अतः उक्त दोनो बिन्दू विरूद्व प्रार्थीगण निर्णित किए जाते है।

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रकाशमान नही होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम सेमलपुरा की खाता संख्या 619 मे वर्णित आराजी 138 रकबा 1.01 हे. एंव खाता संख्या 620 मे वर्णित आराजी संख्या 143, 144, 145, 146 कुल किता 04 कुल रकबा 0.92 हे. के सम्बंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू तेवतिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)